

भारत में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति

संदर्भ-

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल होंगे। चयन समिति ने लोकपाल अध्यक्ष और आठ सदस्यों के नाम तय किए हैं। जस्टिस घोष वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यों की चयन समिति द्वारा लोकपाल व सदस्यों का चयन किया जायेगा

चयन समिति में शामिल सदस्य- इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा विपक्ष के नेता व एक-कानून विद् शामिल होंगे।

ओम्बड्समैन का तात्पर्य उस संस्था से है जो कुप्रशासन से नागरिकों की रक्षा करती है। ओम्बड्समैन नामक यही संस्था भारत में लोकपाल या लोकायुक्त कहलाती है। इसकी स्थापना सर्वप्रथम सन् 1809 में स्वीडन में हुई। स्केन्डिनेवियन देशों के अतिरिक्त यह संस्था न्यूजीलैंड ब्रिटेन कनाडा तथा अमेरिका में भी कार्यरत है। ओम्बड्समैन एक निष्पक्ष तथा कार्यकुशल संस्था मानी जाती है, क्योंकि यह स्वतंत्रतापूर्वक किसी मुद्दे की जाँच कर सरकार को कार्यवाही करने का परामर्श देती है।

भारत में सन 1963 में सर्वप्रथम राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति (हरिश्चंद्र माथुर समिति) ने यह सुझाव दिया था कि ओम्बड्समैन जैसी संस्था भारत में भी होनी चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग (प्रथम) ने भी अपने जन अभियोग निराकरण की समस्याएँ (1966) नामक प्रतिवेदन में यह इंगित किया था कि केन्द्रीय स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए।

आयोग की सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम मई 1968 को लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया।

लोकपाल तथा लोकायुक्त

लोकपाल- लोकपाल मंत्रियों, केंद्र तथा राज्य के सचिवों से संबंधित शिकायतों को देखता है।

लोकायुक्त- लोकायुक्त प्रत्येक राज्य में होता है तथा यह विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखता है।
- प्रशासनिक सुधार आयोग ने न्यूजीलैंड की तरह न्यायालयों को इनके दायरे से बाहर रखा है। राष्ट्रपति लोकपाल की नियुक्ति करता है।

लोकपाल व लोकायुक्त के कार्य- यह दोनों स्वतंत्र व निष्पक्षता शिकायत निवारण संस्था हैं। इन की जांच सेवा कार्यवाही गुप्त रूप से होती है। उनकी नियुक्ति गैर राजनीतिक है। यह अपने विवेकानुसार क्षेत्र में व्याप्त अन्याय, भ्रष्टाचार से संबंधित मामले देखते हैं। इनकी कार्यवाही में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

क्या है लोकपाल का अधिकार क्षेत्र

लोकपाल के पास सेना को छोड़कर प्रधानमंत्री से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक किसी भी जन सेवक (किसी भी स्तर का सरकारी अधिकारी, मंत्री, पंचायत सदस्य आदि) के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की सुनवाई का अधिकार होगा। साथ ही वह इन सभी की संपत्ति को कुर्क भी कर सकता है। विशेष परिस्थितियों में लोकपाल को किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालती ट्रायल चलाने और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी अधिकार होगा।

- भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु इन दोनों की नियुक्ति हुई थी। इनकी स्थापना स्केन्डिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर की गई थी।

भारत एवं स्वीडन के ओम्बड्समैन में अंतर

1. स्वीडन में लोकपाल संवैधानिक तथा प्रभावी संस्था है जबकि, भारत में राज्यों के लोकायुक्त वैधानिक तथा अल्प प्रभावी संस्थाएँ हैं।
2. स्वीडन में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के विरुद्ध जाँच नहीं कर सकता है जबकि, भारत में मंत्रियों तथा कुछ राज्यों में मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध जाँच कर सकता है।
3. स्वीडन में न्यायाधीश सैनिक प्रशासन स्थानीय संस्थाओं सहित समस्त लोकसेवक जाँच के दायरे में हैं जबकि, भारत में केवल मंत्रियों और लोकसेवकों के विरुद्ध जाँच की जा सकती है।
4. स्वीडन में लोकपाल प्रेस को जानकारी दे सकता है जबकि भारत में, प्रेस को जानकारी नहीं दी जाती है।
5. स्वीडन में निर्णित प्रकरण की पत्रावली कोई भी देख सकता है जबकि, भारत में प्रशासनिक गोपनीयता के कारण फाइल नहीं दिखाई जाती है।

जन लोकपाल विधेयक

जन लोकपाल बिल भारत में नागरिक समाज द्वारा प्रस्तावित भ्रष्टाचार निरोधी बिल का मसौदा है। यह सशक्त जन लोकपाल के स्थापना का प्रावधान करता है जो चुनाव आयुक्त की तरह स्वतंत्र संस्था होगी।

जन लोकपाल बिल के मुख्य प्रावधान

- इस नियम के अनुसार केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त का गठन होगा।
- यह संस्था निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय की तरह सरकार से स्वतंत्र होगी।
- किसी भी मुकदमे की जांच 3 महीने के भीतर तथा सुनवाई अगले 6 महीने में पूरी होगी। इसके अंतर्गत भ्रष्ट नेता, अधिकारी या न्यायाधीश को 1 साल के भीतर जेल भेजा जाएगा।
- भ्रष्टाचार के कारण से सरकार को जो नुकसान हुआ है अपराध साबित होने पर उसे दोषी से वसूला जाएगा।
- अगर किसी नागरिक का काम तय समय में नहीं होता तो लोकपाल दोषी अधिकारी पर जुर्माना लगाएगा जो शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के तौर पर मिलेगा।
- लोकपाल के सदस्यों का चयन न्यायाधीश, नागरिक और संवैधानिक संस्थाएं मिलकर करेंगी। नेताओं का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
- लोकपाल/लोक आयुक्तों का काम पूरी तरह पारदर्शी होगा। लोकपाल के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आने पर उसकी जांच 2 महीने में पूरी कर उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा।
- सीबीसी, विजिलेंस विभाग और सीबीआई के एंटी-कॉर्प्शन विभाग का लोकपाल में विलय हो जाएगा।
- लोकपाल को किसी भी भ्रष्ट जज, नेता या अफसर के खिलाफ जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए पूरी शक्ति और व्यवस्था होगी।

सरकारी लोकपाल के पास भ्रष्टाचार के मामलों पर स्वयं या आम लोगों की शिकायत पर सीधे कार्रवाई शुरू करने का अधिकार नहीं होगा। सांसदों से संबंधित मामलों में आम लोगों को अपनी शिकायतें राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष को भेजनी पड़ेंगी। वहीं प्रस्तावित जनलोकपाल बिल के तहत लोकपाल खुद किसी भी मामले की जांच शुरू करने का अधिकार रखता है। इसमें किसी से जांच के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कुछ मामलों में लोकपाल के पास दीवानी अदालत के अधिकार भी होंगे।

2. लोकपाल के पास केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवा का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा।
3. विशेष अदालतों को मामला दायर होने के 6 महीने के अंदर उसकी सुनवाई पूरी करना सुनिश्चित करना होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) 1 और 2
- (c) 2 और 3
- (d) सभी सत्य है।

प्रारंभिक परीक्षा का उत्तर- (B)

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि भारत में भ्रष्टाचार एक संस्थागत रूप धारण कर रहा है, समाज में भ्रष्टाचार एक सामाजिक समस्या से अधिक नैतिक संदर्भ में अपनी प्रासंगिकता रखता है। भ्रष्टाचार रोधी कानून के होने के बावजूद इसको नियंत्रित नहीं किया जा सका है। ऐसे में एक ऐसी स्वतंत्र संस्था की आवश्यकता महसूस की गई है जो निष्पक्षता एवं ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही करने में सक्षम हो। उपर्युक्त कथन के संदर्भ में भारत में लोकपाल की आवश्यकता पर चर्चा करें।

